फर्द अहकाम

शैलेन्द्र शर्मा बनाम अरविन्द शर्मा वगै0

संख्या: 3/2024

5

2024	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण

पत्रावली पेश हुई। वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद तामिल सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 08.07.2024 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

पत्रावली मे बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद पत्र मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि की घोषणा खातेदारी की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस आश्य की जारी फरमाई जावें कि वाद में वर्णित आराजीयात में वादी को उसके नाना रूपनारायण के हक व हिस्से की भूमि में से 1/6 हिस्से का खातेदारी काश्तकारी घोषित किया जावें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जावें तथा बाद घोषणा वादी के हक व हिस्से में आई भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर अलग से लगान व खाता कायम किया जावें।

बहस वादी अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादी की ओर वाद साबित नही होने के कारण वाद अस्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2024 को [illegible]या।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.04 11:55:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड [illegible] अधिकारी
[illegible]